[2018] 3 एस. सी. आर. 496

बी. एल. पासी

वी.

आय कर आयुक्त, दिल्ली

(2007 की सिविल अपील सं. 3892)

अप्रैल 24,2018

[आर. के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961: s.80-0-इसके तहत कटौती, जिसका दावा निर्धारिती ने इस आधार पर किया है कि उसने किसी विदेशी कंपनी को

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में औद्योगिक और वाणिज्यिक ज्ञान, बाजार की स्थितियों के बारे में जानकारी और तकनीकी भी

ऐसी विदेशी कंपनी और ऐसी विदेशी कंपनी द्वारा आवश्यक सहायता ने ऐसी सेवाओं का उपयोग किया और तदनुसार भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता को शरीर के अंगों के निर्माण के लिए आपूर्ति की -

कटौती के लिए दावे की रखरखाव-आयोजितः एस के प्रावधान। 80-0 जिसके संबंध में दस्तावेज़ का उत्पादन अनिवार्य है

राहत मांगी गई है-निर्धारिती ने दावा किया कि विदेशी कंपनी को भेजी गई प्रमुख जानकारी ब्लू प्रिंट के रूप में थी हालाँकि, दरवाजों पर मुहर लगाने के लिए डाई के निर्माण ने कहा कि निचले अधिकारियों के सामने नीले निशान नहीं बनाए गए थे-इसके अलावा वहाँ था

यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि कोई भी उत्पाद विदेशी कंपनी द्वारा निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करके विकसित किया गया था-इस प्रकार, किसी भी उत्पाद के संबंध में विदेशी कंपनी द्वारा भारत में अपने ग्राहकों को की गई बिक्री को साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी।

निर्धारिती की जानकारी की सहायता से विकसित किया गया और यह भी कि निर्धारिती को देय सेवा शुल्क की गणना कैसे की गई थी पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्र एस के तहत कटौती प्राप्त करने के लिए आधार नहीं हो सकते हैं। 80 - ओ-उच्च न्यायालय ने एस के तहत कटौती के दावे को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया। 80-0 .

शब्द और वाक्यांश - तकनीकी सहायता-का अर्थ।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 अधिनियम की धारा 80-ओ के समान प्रावधान मूल रूप से आयकर की पूर्व धारा 85-सी में थे।

अधिनियम, 1961 जिसे वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। धारा 80-0 को धारा 85C के स्थान पर डाला गया था जो था

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा हटा दिया गया। बिल पेश करते समय

1967 के वित्त अधिनियम संख्या 2 के लिए प्रासंगिक, तत्कालीन वित्त मंत्री ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि भारतीय उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ताकि उन्हें नए विकासशील देशों को तकनीकी जानकारी और तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह भी देखा गया है कि इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों को तकनीकी ज्ञान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना था-कैसे और इसे विदेशी कंपनियों को उपलब्ध कराना ताकि विदेशी मुद्रा में वृद्धि हो सके।

इस देश की कमाई और भारतीय तकनीकी ज्ञान की प्रतिष्ठा स्थापित करें-विदेशों के लिए कैसे। उद्देश्य यह था कि

यह सुनिश्चित करना कि इस धारा के तहत कटौती की अनुमति उस आय के संदर्भ में दी जाएगी जो भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त होती है या भारत के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त होती है, करदाताओं द्वारा और उनकी ओर से विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार भारत में लाई जाती है। [पैरा 12] [503-एच; 504-ए-सी]

1.2 . तत्काल मामले में, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा विदेशी कंपनी को भेजी गई प्रमुख जानकारी

दरवाजों पर मुहर लगाने के लिए डाई के निर्माण के लिए ब्लू प्रिंट के रूप में था। दोनों पक्षों के बीच कई पत्रों का आदान-प्रदान हुआ लेकिन इस बारे में कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं था कि यह ब्लूप्रिंट कैसे प्राप्त किया गया और उक्त कंपनी को भेजा गया। इसके अलावा,

अपीलार्थी ने ब्लू प्रिंट की प्रति प्रस्तुत नहीं की है जो निर्धारण अधिकारी के समक्ष विदेशी कंपनी को भेजी गई थी और न ही यह अपीलीय प्राधिकरण और न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आई. टी. अधिनियम की धारा 80-ओ के प्रावधान अनिवार्य करते हैं -

दस्तावेज़ पेश करना जिसके संबंध में राहत मांगी गई है। अपीलार्थी द्वारा विदेशी कंपनी को उपलब्ध कराए गए ब्लू प्रिंट को उन परिस्थितियों में अपीलार्थी द्वारा विदेशी कंपनी को प्रदान की गई तकनीकी सहायता के रूप में माना जा सकता है यदि ब्लू प्रिंट का विवरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीले निशान निचले अधिकारियों के सामने भी पेश नहीं किए गए थे। ऐसे परिदृश्य में, जब अपीलार्थी का दावा पूरी तरह से विदेशी कंपनी को प्रदान की गई तकनीकी सहायता पर निर्भर है। ब्लू प्रिंट के रूप में, इसकी अनुपलब्धता एक संदेह पैदा करती है और यह साबित करने के लिए सबूत का बोझ अपीलार्थी पर है कि उन ब्लू प्रिंट के आधार पर, विदेशी कंपनी भारत में अपना व्यवसाय शुरू करने में सक्षम थी और उसे सेवा शुल्क के रूप में राशि का भुगतान किया गया था। इसके अलावा, अपीलार्थी [2018] 3 एस. सी. आर. को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के संबंध में।

प्रदान की गई सेवाओं के लिए, दिनांक 25.01.1995 के संदर्भ में, यह विशेष रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि प्रदान की गई वाणिज्यिक और औद्योगिक जानकारी के लिए पारिश्रमिक केवल तभी देय होगा जब अपीलकर्ता द्वारा तैयार की गई व्यावसायिक योजनाओं का परिणाम सकारात्मक होगा अर्थात यह इस तरह से विकसित अपने उत्पादों की बिक्री पर सेवा शुल्क का भुगतान करेगा, लेकिन यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था कि कोई भी उत्पाद अपीलकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए ब्लू प्रिंट के आधार पर विदेशी कंपनी द्वारा इस तरह से विकसित किया गया था और यह भी कि विदेशी कंपनी अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करके अपने द्वारा विकसित किसी भी उत्पाद को बेचने में सक्षम थी। इसका मतलब है कि किसी भी उत्पाद के संबंध में विदेशी कंपनी द्वारा भारत में अपने ग्राहकों को की गई बिक्री को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है।

अपीलार्थी की जानकारी की सहायता से विकसित किया गया और यह भी कि अपीलार्थी को देय सेवा शुल्क कैसे थे संगणित। [पैरा 13,16,17] [504-डी-ई; 505-ई-जी; 506-ए-बी]

2. मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में,

प्रबन्धन अभिकर्ता अर्थात अपीलार्थी की सेवाएँ, जो किसी विदेशी कंपनी को प्रदान की जाती हैं, आई. टी. अधिनियम की धारा 80-ओ के अर्थ में तकनीकी सेवाएँ नहीं हैं। अपीलार्थी यह साबित करने में विफल रहा कि उसने विदेशी कंपनी को तकनीकी सेवाएं प्रदान कीं और कथित भुगतान के आधार को साबित करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज भी दिए।

विदेशी कंपनी द्वारा उसे। पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्रों को आईटी अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती प्राप्त करने के लिए दावा नहीं किया जा सकता है। यह तय किया गया कानून है कि एक कर कानून में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियों को आम तौर पर उस अर्थ में समझा जाएगा जिसमें विधायी एनीमेशन को प्रभावी बनाने के लिए क़ानून के उद्देश्य के साथ सामंजस्यपूर्ण है। अपीलार्थी एक प्रबंध अभिकर्ता था और उच्च न्यायालय प्रमुख अभिकर्ता को रखने में सही था।

आईटी अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत अपीलार्थी को कटौती देने के लिए पक्षकारों और उनके बीच संबंध का कोई आधार नहीं है। [पारस 18,19] [506-डी; 506-ई]

जे. के. (बॉम्बे) लिमिटेड बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

और एक अन्य (1979) 118 आई. टी. आर. 312 (डी. एल.)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

संदर्भित किया गया है

(1979) 118 आईटीआर 312 (डेल.)

पै

रा 15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3892

2007 से।

बी. एल. पासी बनाम आय कर आयुक्त, दिल्ली

2006 की आयकर अपील संख्या 1198 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 13.12.2006 के निर्णय और आदेश से।

लक्ष्मीकुमारन, सुश्री नीना गुप्ता, संजय गुप्ता, मुदित शर्मा, सुश्री रानू पुरोहित, सौरव सूद, शशांक शर्मा, सुश्री सुभाष पीर, सुश्री बीना गुप्ता, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री निरंजना सिंह, सुश्री साधना संधू (श्रीमती अनिल कटियार के लिए), अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. के. अग्रवाल, जे. 1. उपरोक्त अपील उच्च न्यायालय द्वारा पारित 13.12.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

दिल्ली ने 2006 की आई. टी. अपील संख्या 1198 में, जिसके तहत उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आई. टी. ए. संख्या 1603/डी/2002 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली पीठ (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांकित आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

2. संक्षिप्त तथ्यः

(क) इसमें अपीलार्थी ने रुपये की आय का खुलासा करते हुए विवरणी दाखिल की। 57,40,360 / - आकलन वर्ष (ए. वाई.) 1997-98 के लिए दावा करते समय रुपये की कटौती। 58,87,045 / - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ओ (संक्षेप में 'आईटी अधिनियम') के तहत रु। 1,17,74,090 / - सुमितोमो निगम, जापान से प्राप्त। सुमितोमो निगम भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माताओं को शरीर के अंगों के निर्माण के लिए डाई की आपूर्ति करने में रुचि रखता था और उसने अपीलार्थी के साथ एक अनुबंध किया जिसके तहत अपीलार्थी की सेवाओं को उसके विशेष वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग का उपयोग करके लगाया गया था।

(ख) अपीलार्थी के मामले को आयकर विभाग, दिल्ली द्वारा जांच के लिए और धारा के तहत नोटिस के जवाब में चुना गया था। 143 (2) आई. टी. अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत दावे को उचित ठहराते हुए अपीलार्थी ने अन्य लोगों के साथ समय-समय पर मूल्यांकन कार्यवाही में भाग लिया। निर्धारण अधिकारी, दिनांकित आदेश [2018] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27.03.2000 आई. टी. अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत कुल आय का आकलन रु। 1,18,43,060 / - और निर्धारिती द्वारा देय राशि का निर्धारण किया। 43,25,960 / - . दिनांकित आदेश से व्यथित होना

27.03.2000 , अपीलार्थी ने आयकर आयुक्त (अपील)-XXVI, नई दिल्ली के समक्ष अपील संख्या 272/01-02 को प्राथमिकता दी। अपीलीय प्राधिकरण ने दिनांक 20.02.2002 के आदेश के माध्यम से आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी और कहा कि अपीलार्थी आईटी अधिनियम की धारा 80-0 के तहत कटौती का हकदार है। दिनांकित 20.02.2002 आदेश से व्यथित होकर, राजस्व न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में गया। न्यायाधिकरण ने दिनांक 10.10.2005 के आदेश के माध्यम से राजस्व द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। अपीलार्थी ने 2006 की आई. टी. अपील संख्या 1198 दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें न्यायाधिकरण के दिनांकित आई. डी. 2 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने आई. डी. 1 पर खारिज कर दिया था।

(ग) 13.12.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से व्यथित,

अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की है।

3. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री लक्ष्मीकुमारन को सुना।

और श्री के. राधाकृष्णन, प्रत्यर्थी के वरिष्ठ वकील थे और उन्होंने अभिलेखों का अध्ययन किया।

विचार के लिए बिंदुः

4. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए एकमात्र बिंदु यह है कि क्या अपीलार्थी वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत आई. टी. अधिनियम की धारा 80-0 के तहत कटौती का हकदार है?

प्रतिद्वंद्वी विवादः

5. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने आई. टी. अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत परिकल्पित सभी शर्तों को पूरा किया है क्योंकि वह भारतीय वाहन उद्योग से संबंधित विशेष, औद्योगिक और वाणिज्यिक ज्ञान और भारत में उद्योग के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान कर रहा था। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी निर्माताओं और व्यापारियों के बीच बहुत अच्छी पेशेवर प्रतिष्ठा का आनंद ले रहा है और उसे भारतीय वाहन उद्योग का विशाल अनुभव है। अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार प्रदान की गई सेवाएँ वास्तव में प्रदान की गई थीं और उन सेवाओं को प्रदान करने के लिए भुगतान प्राप्त किया गया था। विद्वान वकील ने अंततः तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने इसे एक प्रमुख प्रतिनिधि संबंध मानने में त्रुटि की है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है।

बी. एल. पासी बनाम आय कर आयुक्त, दिल्ली [आर. के. अग्रवाल, जे.]

6. प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती का दावा करने के लिए, जानकारी औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए, अनुभव या कौशल, जो गैर-निवासी पक्ष को उपलब्ध कराया जाता है और अभिलेख पर सामग्री से यह पकड़ना मुश्किल है कि अपीलार्थी

उसके पास औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल से संबंधित कोई जानकारी थी या उसके पास कभी कोई ब्लू प्रिंट था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि जिस तरीके या परिस्थितियों के तहत SAFARI परियोजना के तहत टेल्को के प्रस्तावित बहुउद्देशीय वाहनों को अंतिम रूप दिया गया था, वह स्पष्ट नहीं है और इसके लिए कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने अंततः प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सही था और इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं मांगा गया है। 7. प्रत्युत्तर में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि पक्षों के बीच समझौता धारा के अवयवों को संतुष्ट करता है।

80 - आई. टी. अधिनियम के ओ. में अपीलार्थी को कटौती का लाभ प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं किसी विदेशी उद्यम को औद्योगिक और वाणिज्यिक ज्ञान की प्रकृति में थीं।

चर्चाः

8. अपीलार्थी ने दावा किया है कि उसे भारतीय वाहन उद्योग का व्यापक अनुभव है और उसने पर्याप्त विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त किया है

और किसी भी विदेशी उद्यम को वाहन उद्योग के बारे में विशेष वाणिज्यिक और औद्योगिक जानकारी प्रदान करने की स्थिति में है। भारत में अपने बाजार को विकसित करने के लिए। अपीलार्थी ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में मौजूदा बाजार स्थितियों के बारे में जानकारी, भारत में ऑटोमोबाइल निर्माताओं के बारे में विशिष्ट जानकारी, बाजार की स्थिति, विश्वसनीयता और उन निर्माताओं में से प्रत्येक की उत्पाद स्वीकृति के बारे में जानकारी के संबंध में सुमितोमो कॉर्पोरेशन, जापान के साथ एक समझौता किया, ताकि भारत में किसी भी निर्माता द्वारा किसी भी नए उत्पाद को लॉन्च करने के प्रस्ताव के बारे में पूर्व-जानकारी प्रदान की जा सके।

भारत में वाहन निर्माताओं को भारत में बिक्री के लिए जापान में उत्पादों के विकास और निर्माण के संबंध में उचित रूप से आवश्यक सेवाएं और समर्थन प्रदान करना और भारत में अपने उत्पादों के आयात और/या बिक्री आदि से संबंधित भारत में लागू कानूनी कानूनों और विनियमों के बारे में सुमितोमो निगम को सलाह देना।

9. अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार प्रदान की गई सेवाओं का उपयोग सुमितोमो निगम द्वारा भारत में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए किया जाना आवश्यक था। ऑटोमोबाइल उद्योग और उन्हें रु। 1,17,73,940 / - टेल्को की सफारी परियोजना के संबंध में उनके द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी और औद्योगिक ज्ञान और व्यावसायिक सेवाओं के कारण। यह उनका दावा है कि सुमितोमो निगम ने उनके द्वारा प्रदान की गई विशेष, वाणिज्यिक और औद्योगिक ज्ञान और पेशेवर सेवाओं के उपयोग के परिणामस्वरूप SAFARI परियोजना के संबंध में टेल्को से आदेश प्राप्त किया।

10. अपीलार्थी ने रुपये की आय घोषित करते हुए आयकर विवरणी दाखिल की। 57,40,360 / - जिसे आयकर विभाग द्वारा जांच के लिए चुना गया था

विभाग। आय की गणना करते समय, रुपये की कटौती। 58,87,045 / रुपये की सकल प्राप्तियों पर अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत दावा किया गया था। 1,17,74,090 / - जापान के सुमितोमो निगम से मैसर्स पास्को इंटरनेशनल के नाम पर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया, जिसमें अपीलकर्ता एकमात्र मालिक था। यह भी बताया गया कि उन्हें उपरोक्त राशि परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुई थी

भारतीय मोटर वाहन उद्योग से संबंधित विशेष औद्योगिक और वाणिज्यिक ज्ञान प्रदान करने के लिए विचार के रूप में, जिसमें उद्योग के बारे में विस्तृत जानकारी, सरकार का विश्लेषण शामिल है।

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित नीतियां और भारत में विभिन्न ग्राहकों को मैसर्स सुमितोमो कॉर्पोरेशन के उत्पादों की आपूर्ति के अवसरों की पहचान करना और इसलिए वह आईटी अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती का दावा करने का हकदार है, जिसका दावा दाखिल की गई आय के विवरणी में किया गया था। तथापि, निर्धारण अधिकारी, दिनांकित आदेश द्वारा

27.03.2000 , रुपये की कटौती के दावे को अस्वीकार कर दिया। 58,87,045 / - अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपीलार्थी की सेवाएं संबंधित धारा के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं हैं।

11. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, आई. टी. अधिनियम की धारा 80-ओ (असंशोधित) को उद्धृत करना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैः

" 80 - O.Deduction कुछ विदेशी उद्यमों से रॉयल्टी आदि के संबंध में। 1) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय, जो एक भारतीय कंपनी है या एक व्यक्ति (एक कंपनी के अलावा) जो भारत में निवासी है, में रॉयल्टी, कमीशन, शुल्क या उसके द्वारा प्राप्त किसी भी समान भुगतान के रूप में कोई आय शामिल है। भारत के बाहर
किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या इसी तरह के एल. पी. ए. एस. एस. आई. v. के उपयोग के लिए किसी विदेशी राज्य या विदेशी उद्यम की सरकार से निर्धारिती।

आय कर आयुक्त, दिल्ली [आर. के. अग्रवाल, जे.]

संपत्ति का अधिकार, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल से संबंधित जानकारी जो निर्धारिती द्वारा ऐसी सरकार या उद्यम को प्रदान की गई या उपलब्ध कराने के लिए सहमत की गई है, या

प्रदान की गई या सहमत तकनीकी या पेशेवर सेवाएँ भारत के बाहर ऐसी सरकार या उद्यम को

निर्धारिती और ऐसी आय जो परिवर्तनीय विदेशी में प्राप्त होती है

बशर्ते कि ऐसी आय भारत में पिछले वर्ष के अंत से छह महीने की अवधि के भीतर प्राप्त की जाती है, या जहां मुख्य आयुक्त या आयुक्त संतुष्ट हैं (निम्नलिखित कारणों से) - लिखित रूप में अभिलिखित) कि निर्धारिती, अपने नियंत्रण से परे कारणों से, छह महीने की उक्त अवधि के भीतर, ऐसी आगे की अवधि के भीतर ऐसा करने में असमर्थ है जिसकी मुख्य आयुक्त अनुमति दे।

की ओर से:

इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्पष्टीकरण:

((ख) "विदेशी उद्यम" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनिवासी है। (iii) भारत के बाहर प्रदान की जाने वाली या प्रदान करने के लिए सहमत सेवाओं में भारत से प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल होंगी, लेकिन इसमें भारत में प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल नहीं होंगी। ”

12. अधिनियम की धारा 80-0 के समान प्रावधान मूल रूप से थे

आयकर अधिनियम, 1961 की पूर्व धारा 85-सी जोवित्त (सं. 2) अधिनियम, 1971 द्वारा जारी किया गया। धारा 80-ओ को धारा 85 सी में जोड़ा गया था जिसे वित्त (संख्या 2) अधिनियम, [2018] 3 एस. सी. आर. द्वारा हटा दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1967. 1967 के वित्त अधिनियम संख्या 2 से संबंधित विधेयक को पेश करते समय, तत्कालीन वित्त मंत्री ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि भारतीय उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ताकि उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

तकनीकी ज्ञान-नए विकासशील देशों को कैसे और तकनीकी सेवाएं। यह भी देखा गया है कि इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों को तकनीकी ज्ञान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना था-कैसे और इसे विदेशी कंपनियों को उपलब्ध कराना ताकि इस देश की विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि हो सके और भारतीय तकनीकी ज्ञान की प्रतिष्ठा स्थापित करें-विदेशों के लिए कैसे। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि धारा के तहत कटौती

उस आय के संदर्भ में अनुमति दी जाएगी जो भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त होती है या भारत के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त होती है, जिसे विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार करदाताओं द्वारा और उनकी ओर से भारत लाया जाता है।

13. अब मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सुमितोमो को भेजी गई प्रमुख जानकारी

निगम दरवाजों पर मुहर लगाने के लिए डाई के निर्माण के लिए ब्लू प्रिंट के रूप में था। दोनों पक्षों के बीच कई पत्रों का आदान-प्रदान हुआ, लेकिन इस बारे में कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है कि यह ब्लूप्रिंट कैसे प्राप्त किया गया और उपरोक्त कंपनी को कैसे भेजा गया। अभिलेख पर यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने ब्लू प्रिंट की प्रति प्रस्तुत नहीं की है जो सुमितोमो निगम को न तो निर्धारण अधिकारी के समक्ष और न ही अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष और न ही न्यायाधिकरण के समक्ष भेजी गई थी। आई. टी. अधिनियम की धारा 80-0 के प्रावधानों में दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसका सम्मान करने के लिए राहत मांगी गई है। इसलिए, हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या ब्लू प्रिंट के रूप में प्रदान की गई सेवाएं और अपीलार्थी द्वारा प्रदान की गई जानकारी आयकर अधिनियम की धारा 80-ओ के दायरे में आती हैं या निर्धारिती को कटौती का दावा करने का अधिकार देने के लिए उसमें निर्धारित किसी भी शर्त के दायरे में आती हैं।

14. न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में, जहां "तकनीकी सहायता" शब्द पर विचार किया गया था, यह कहा गया है कि तकनीकी सहायता में कौशल सिखाने के लिए क्षेत्र में विशेषज्ञों को भेजना शामिल हो सकता है और

सिंचाई, कृषि, मत्स्य पालन, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य या वानिकी जैसे विशेषज्ञता के अपने क्षेत्रों में समस्याओं को हल करने में मदद करना। न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में "तकनीकी" शब्द का अर्थ है जो किसी विशेष कला, विज्ञान, पेशे या व्यापार की विशेषता है और "प्रौद्योगिकी" शब्द का अर्थ है ज्ञान की वह शाखा जो औद्योगिक कला और विज्ञान से संबंधित है; ऐसे ज्ञान का उपयोग; समाज की भौतिक आवश्यकताओं के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला ज्ञान और साधन।

15. जे. के. (बॉम्बे) लिमिटेड बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और एक अन्य (1979) 118 आई. टी. आर. 312 (डी. एल.), तकनीकी सहायता की व्याख्या को निम्नानुसार वर्णित किया गया हैः

" हमने ऊपर दिखाया है कि "तकनीकी" शब्द के व्यापक अर्थ को अपनाना धारा 80-ओ के उद्देश्य को विफल कर देगा, जिससे किसी विदेशी कंपनी के प्रबंधन या संचालन के लिए पारिश्रमिक धारा 80-0 के तहत कटौती के योग्य हो जाएगा। जिस पर

दूसरी ओर, "तकनीकी" शब्द का संकीर्ण अर्थ खंड के उद्देश्य के अनुरूप अधिक प्रतीत होता है। यह याद रखना होगा कि "प्रौद्योगिकी" शब्द जिसका संबंध "तकनीकी" शब्द से है, वह मनुष्य द्वारा भौतिक पर्यावरण के नियंत्रण से संबंधित है। यह दो तरीकों से किया जाता है। पहला, उपकरणों के उपयोग से, और दूसरा, पदार्थ के गुणों पर तर्क के अनुप्रयोग से और दूसरा, पदार्थ और ऊर्जा के गुणों पर तर्क के अनुप्रयोग से। इसलिए, यह सोचना उचित होगा कि तकनीकी सेवाओं में तर्क के उपयोग के अलावा उपकरणों और मशीनरी का उपयोग भी शामिल होना चाहिए। जिन प्रबंधकीय सेवाओं में उपकरण और मशीनरी का कोई उपयोग शामिल नहीं है, उन्हें तकनीकी सेवा नहीं माना जा सकता है।

16. अपीलार्थी द्वारा निगम को उपलब्ध कराए गए ब्लू प्रिंट को उन परिस्थितियों में अपीलार्थी द्वारा निगम को प्रदान की गई तकनीकी सहायता के रूप में माना जा सकता है यदि ब्लू प्रिंट का विवरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीले निशान निचले अधिकारियों के सामने भी पेश नहीं किए गए थे। ऐसे परिदृश्य में, जब अपीलार्थी का दावा पूरी तरह से प्रदान की गई तकनीकी सहायता पर निर्भर है। निगम के लिए ब्लू प्रिंट के रूप में, इसकी अनुपलब्धता संदेह पैदा करती है और सबूत का बोझ अपीलार्थी पर यह साबित करने के लिए है कि

उन ब्लू प्रिंटों में से निगम भारत में अपना व्यवसाय शुरू करने में सक्षम था और उसे सेवा शुल्क के रूप में राशि का भुगतान किया गया था।

17. इसके अलावा, दिनांकित पत्र के संदर्भ में 25.01.1995 , यह विशेष रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि प्रदान की गई वाणिज्यिक और औद्योगिक जानकारी के लिए पारिश्रमिक केवल तभी देय होगा जब अपीलार्थी द्वारा तैयार की गई व्यावसायिक योजनाएँ सकारात्मक परिणाम दें। सुमितोमो निगम अपने उत्पादों की बिक्री पर भारत में सुमितोमो और उसके ग्राहकों के बीच संविदात्मक राशि के 5 प्रतिशत (प्रतिशत) के बराबर सेवा शुल्क का भुगतान पास्को इंटरनेशनल को करेगा। उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी सेवा शुल्क [2018] 3 एस. सी. आर. का हकदार था।

विकसित किया गया है लेकिन यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि किसी भी उत्पाद को सुमितोमो निगम द्वारा अपीलकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए ब्लू प्रिंट के आधार पर विकसित किया गया था और यह भी कि सुमितोमो निगम था अपीलार्थी द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करके उसके द्वारा विकसित किसी भी उत्पाद को बेचने में सक्षम। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है

सुमितोमो निगम द्वारा भारत में अपने ग्राहकों को की सहायता से विकसित किसी भी उत्पाद के संबंध में की गई बिक्री को साबित करें

18. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रबंध अभिकर्ता अर्थात अपीलार्थी की सेवाएं, जो किसी विदेशी कंपनी को प्रदान की जाती हैं, धारा 80-ओ के अर्थ के भीतर तकनीकी सेवाएं नहीं हैं।

आई. टी. अधिनियम। अपीलार्थी यह साबित करने में विफल रहा कि उसने सुमितोमो निगम को तकनीकी सेवाएं प्रदान कीं और निगम द्वारा उसे कथित भुगतान के आधार को साबित करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज भी दिए। द.

आईटी अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती प्राप्त करने के लिए पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्रों का दावा नहीं किया जा सकता है।

19. अपील के साथ भाग लेने से पहले, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि यह तय किया गया कानून है कि एक कर कानून में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियाँ

आम तौर पर इस अर्थ में समझा जाता है कि विधायी एनिमेशन को प्रभावी बनाने के लिए यह क़ानून के उद्देश्य के साथ सामंजस्यपूर्ण है। अपीलार्थी एक प्रबंध अभिकर्ता था और उच्च न्यायालय पक्षों के बीच प्रमुख अभिकर्ता संबंध रखने में सही था और आई. टी. अधिनियम की धारा 80-0 के तहत अपीलार्थी को कटौती देने का कोई आधार नहीं है।

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है

लागतों के लिए।

देविका गुजराल

याचिका खारिज कर दी गई।